बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि २६ मार्च, १९७६ ई०

विषय-सूची

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४(२) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	:	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या	: १७ एवं १८	२—६
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या	: ६०८, ६१०, ६१२, ६१५—६२२, ६२४, ६२९—६३१, ६३३, ६३५, ६३७, ६३९, ६४२, ६४३, ६४८, ६५०, ६५२, ६५३, ६५६, ६५८, ६६०, ६६३, ६६५, ६७०, ६७५; ६७६, ६८०, ६८५।	६–४६
परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर)		४७—१६३
दैनिक निबन्ध		१६५–१६६

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

श्री रामदेनी राम—अल्पवेतन भोगी कर्मचारी किरानी स्तर के लोग हैं, क्या उनकी हिम्मत है कि अपने ग्रिवान्सेज को मंत्री के पास या डाइरेक्टर्स के पास, वह भी उमा बाबू के पास रख सकते हैं ?

अध्यक्ष—शांति। जो लिखित बांटा गया है, उसे आपने पढ़ा है ? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक केन्द्र से सिर्फ एक कर्मचारी वेतन लाने रांची जाते हैं और अन्य सभी कर्मचारियों के उनके पदस्थापन के स्थान पर ही वेतन का भुगतान किया जाता है। तो आज तक कोई शिकायत नहीं आयी है, आपके यहाँ कोई शिकायत आयी है ?

श्री रामदेनी राम—जी, हाँ।

अध्यक्ष—तो उसे बढ़ा दीजिए मंत्री को। यहाँ डिबेट की बात नहीं है। जो एफेक्टेड लोग हैं और उनकी शिकायत है, तो उसे बढ़ा दीजिए, ताकि उस पर विचार किया जा सके।

श्री रामदेनी राम—अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों को वेतन के लिये एक तारीख से दस तारीख तक दौड़ना पड़ता है।

अध्यक्ष—आप जो कह रहे हैं, उसका आधार क्या है ?

श्री रामदेनी राम—लोग हमसे मिले हैं और उन्होंने शिकायत की है।

अध्यक्ष—आप लिखित दे दीजिए, माननीय मंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री रामदेनी राम—अच्छी बात है।

वेतन में विभिन्नता।

१८। श्री राम रक्षा प्रसाद यादव*—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि अक्टूबर १९७३ में राजकीय उच्च विद्यालयों में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा विशेष नियोजन में विज्ञान, उर्दू एवं बंगला

---

* प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री प्रभु नारायण राय के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

शिक्षकों की २००.०० (दो सौ) रुपया स्टाईपेन्ड पर बहाली की गई थी और उन्हें एक वर्ष के बाद से ३८७—६०० का स्केल दिया जा रहा है ;

(२) क्या यह बात सही है कि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के आदेशानुसार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा विज्ञान, उर्दू एवं बंगला शिक्षकों की अराजकीय उच्च विद्यालयों में स्थित विशेष नियोजन में २००.०० रुपया स्टाईपेंड पर अक्टूबर, १९७३ में बहाली की गई थी और एक वर्ष के बाद उन्हें २२०—४०० का स्केल दिया जा रहा है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विशेष नियोजन में बहाली होने तथा एक ही शैक्षणिक योग्यता धारण करनेवाले शिक्षकों के वेतन में विभिन्नता का क्या औचित्य है ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।
(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) राजकीय उच्च विद्यालयों में शिक्षकों का वेतनमान ३८७–६०० रु० है। इस कारण विशेष नियोजन अन्तर्गत इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को यह वेतनमान दिया गया है। गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों में शिक्षकों का वेतनमान २२८–४०० है। इस कारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को यह वेतनमान दिया गया।

श्री प्रभुनारायण राय—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, वह स्पेशल प्रोग्राम के अन्तर्गत हो रही है और जब शिक्षकों की योग्यता एक ही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में अन्तर क्यों कर रहे हैं और अगर अन्तर कर रहे हैं, तो इस तर्क का आधार क्या है ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि दो वेतनमान एक ही योग्यता के शिक्षकों का हो गया है। एक तो सरकारी स्कूलों में है और दूसरा गैर-सरकारी स्कूलों में है। तो ३१–५–७४ को एक आर्डिनेन्स हुआ और जो शिक्षक यूनियन से सम्बन्धित थे, ऐसे शिक्षकों को युक्तिसंगत माना गया है और उस तिथि के बाद जो शिक्षक हैं, उनको कोठारी कमीशन की अनुशंसा के अनुसार मिला है और वह है २२०–४०० रु० का स्केल। इसीलिये दो स्केल हो गया है। सरकार इसको उचित नहीं मानती है और हमलोग भी इसपर विचार कर रहे हैं।

श्री आजम—मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष—यह भी बीस सूत्री कार्यक्रम में है क्या ?

श्री आजम—हाँ, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा के डेवलपमेंट की बात है। तो क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वेतनमान के द्वारा जो रुपये बढ़े हैं, वह किन-किन लोगों का बढ़ा है और उनका नाम तथा पता क्या है ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह—माननीय सदस्य को यदि संशय है, तो मैं बता दूँगा।

श्री हेमन्त कुमार झा—सिर्फ एक ही बात का मैं जवाब चाहता हूँ कि सरकार ने यह कहा कि यह बिलकुल औचित्यपूर्ण है, सरकार भी असन्तुष्ट है, सारी बातें कही गयी तो किस तिथि तक विचार कर सरकार को जब इतनी चिन्ता है, इस काम को करेगी ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह—यह मैंने इसलिये कहा कि शिक्षक संघ से बात कर यह निर्णय लिया गया था; लेकिन, मुझे यह उचित नहीं मालूम पड़ा। निर्णय तो उनलोगों ने ले लिया। इसके अनुसार २१-५-७४ से वेतनमान बढ़ गया है और उसके बाद जो बहाली हुई है, उनका वेतनमान कम है। इसपर हमलोग विचार कर रहे हैं और जल्द ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

भ्रष्टाचार का आरोप

६०८। श्री आजम—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में कुल कितने राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों, राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एवं प्रधानाध्यापकों पर भ्रष्टाचार के आरोप विभाग में कब से लम्बित हैं तथा उनका पूर्ण विवरण क्या है ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह, शिक्षामंत्री, बिहार—शिक्षा विभाग में कुल २७ राजपत्रित पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप प्राप्त हुए थे, जिनकी जाँच मंत्रिमण्डल निगरानी विभाग कर रहा है। इनमें से १० सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा १७ कार्यरत हैं।